


कार्यालय आदेश

संख्या-

दिनांक-20-06-2021

कोविड-19 के प्रसार की स्थिति में सुधार को देखते हुए निर्गत राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर दि. 21.6.2021 से पूर्ण क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक खुला करेगा। परिसर में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं पालि केन्द्र में कार्यरत पी.डी.एफ. उपर्युक्त दिनों में परिसर में उपस्थित रहा करेंगे। उपर्युक्त सभी कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करेंगे। 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अपरिहार्य होगा। इसकी निगरानी CCTV कैमरे फुटेज के माध्यम से की जायगी। परिसर में 2 गज की दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने की स्थिति में CCTV कैमरे फुटेज के आधार पर प्रतिदिन रु.200 के दण्ड की कटौती वेतन से मासान्त में स्वतः हो जाया करेगी। इसके लिए पृथकतया कोई आदेश निर्गत नहीं होगा।

कक्षाएं online चलेंगी। सभी शिक्षक न्यूनतम 5 घण्टे परिसर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि कक्षा के अतिरिक्त समय में अन्य शैक्षिक एवं प्राशासनिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। क्योंकि निकट भविष्य में NAAC द्वारा प्रत्यायन और मूल्यांकन कराया जाना है। शिक्षक कितने बजे से कितने बजे तक 5 घण्टे परिसर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे इसका निर्णय शिक्षक अपनी कक्षा समय के अनुसार स्वयं करेंगे और इसकी सूचना लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को देंगे। इण्टरनेट आदि संसाधन जिस रूप में इससमय उपलब्ध हैं तदनुसार कक्षाओं का संचालन करेंगे। आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत इण्टरनेट का भी उपयोग कर छात्रहित में सहयोग करने की कृपा करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही समुचित इण्टरनेट व्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा। साफ सफाई, सेनेटाइजेशन, पेयजल और एतत्सम्बन्धी अन्य कार्य केअरटेकर द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे। पूर्व में कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति के प्रभाव में निर्गत सभी सूचनाएं, आदेश आदि तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे।



(प्रो. सर्वनारायण झा)

निदेशक

प्रतिलिपि-

1. उपर्युक्त सभी को सूचनार्थ
2. कार्यालय आदेश संचिका
3. सम्बंधित संचिका
4. परिसर की वेबसाइट
5. गार्ड फाइल
6. अतिरिक्त प्रति